-प्रेस नोट-

दिनांक - 17.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में वारण्टी/वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.08.2024 पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **इमरान पुत्र मनजूरा नि0 मोहिद्दीनपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर** सम्बन्धित वाद स0-186/19, मु0अ0स0- 4/18 धारा 354क/506 भादवि व 7/8 पो0एक्ट व 3(1)(5)क/3(1)द एससी/एसटी एक्ट चालानी थाना जनकपुरी सहारनपुर के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इमरान पुत्र मनजूरा निवासी मोहिद्दीनपुर थाना जनकपुरी सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री रवि राठौर थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. है0 का0 610 विपिन राणा थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
3. का0 1751 अजय थाना जनकपुरी,सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 17.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना एएचटीयू पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा नाबालिग को सकुशल बरामद कर किया परिजनो के सुपुर्द।

अवगत कराना है कि दिनांक 23.07.2023 को थाना नानौता पर वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री रामपाल सैनी कस्बा व थाना नानौता द्वारा अपने चचेरे भाई राहुल पुत्र स्व0 महावीर निवासी कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर की गुमशुदगी के सम्बन्ध में मु0अं0सं0 128/23 धारा 363 भादवि पंजीकृत कराया गया। दिनांक 06.05.2024 को उक्त विवेचना थाना ए0एच0टी0 जनपद सहारनपुर पर स्थानान्तरित होकर प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू श्री प्रमोद कुमार के सुपुर्द की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सहारनपुर के निर्देशन एंव पुलिस अधीक्षक यातायात के निकट पर्यवेक्षण में उक्त गुमशुदा बच्चे को बरामद करने हेतू भर्सक प्रयास किये गये। प्रभारी निरीक्षक एएचटीयू श्री प्रमोद कुमार द्वारा इस सम्बन्ध में वादी उपरोक्त से गुमशुदा बच्चे के आधार कार्ड प्राप्त कर आधार कार्ड पर जारी मो0 नंम्बरो के आधार पर जनपद की सर्विलान्स द्वारा सीडीआर प्राप्त कर एंव लोकेशन की जानकारी कर दिनांक 16.08.2024 को मय हमराह एचसीपी 679 रविदत्त त्यागी, है0का0 102 नैपाल सिंह मय सरकारी गाडी नं0 UP11AG0297 चालक मौ0 मुमताज एंव वादी को साथ लेकर गुमशुदा बच्चे राहुल की लोकेशन के आधार पर मौहाली पंजाब के थाना मटोर मौहाली पंजाब में सम्पर्क स्थापित कर एएसआई सुखविन्दर सिहं को साथ लेकर लोकेशन वाले स्थान यादव ढाबा मैसर्स शंकर बू-23 फैक्ट्री एरिया फेस -9 मौहाली पर उक्त गुमशुदा बच्चा राहुल पुत्र महावीर निवासी कस्वा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर उम्र करीब 16 वर्ष को सकुशल बरामद कर जनपद सहारनपुर लाकर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया। बरामद हुए गुमशुदा बच्चे राहुल को आवश्यक विधिक कार्यवाही कर बाल कल्याण समिति के माध्यम से परिजनो के सुपुर्द किया जायेगा।

दिनांक 17.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमे मे वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनाँक 09.08.2024 वादी श्री मनोज सबलोक पुत्र सुभाष निवासी शारदा नगर पुराना तेल मील लेबर कालोनी गली न0 09 थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 445/2024 धारा 303 (2) बीएनएस मे एक एक्टीवा न0 यूपी11 बीटी 1532 चोरी करने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितिय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.08.2024 की रात्रि को शातिर/ वांछित **अभियुक्त रोहित पुत्र सुन्दर शर्मा निवासी मौ0 हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर** को मिशन कम्पाउन्ड रोड रेलवे कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त को अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त रोहित ने बताया की यह एक्टीवा मैने पैसो की जरुरत थी इसलिए चोरी की थी। आज मै इसे बैचने जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रोहित पुत्र सुन्दर शर्मा निवासी मौ0 हकीकत नगर पंजाबी बाग थाना सदर बाजार सहारनपुर

अपराधिक इतिहास रोहित शर्मा s/o सुन्दर शर्मा निवासी निकट शिव मन्दिर पंजाबी बाग- , थाना सदर बाजार , सहारनपुर, उत्तर प्रदेशः-

क्र 0स0	मु0स0अ0	धारा	थाना
1	103/2021	2/गैगस्टर अधिनियम 3	कोतवाली नगर सहारनपुर
2	237/2020	379/411/414/419/420/467/ 468 भादवि	कोतवाली नगर सहारनपुर
3	240/2020	4/आर्मस एक्ट 25	कोतवाली नगर सहारनपुर
4	268/2020	379/भादवि 411	कोतवाली नगर सहारनपुर
5.	215/2020	379/भादवि 411	जनकपुरी सहारनपुर
6	216/2020	379/भादवि 411	जनकपुरी सहारनपुर
7	223/2020	379/भादवि 411	जनकपुरी सहारनपुर
8	147/2024	4/आर्मस एक्ट 25	सदर बाजार सहारनपुर
9	461/2020	379/भादवि 411	सदर बाजार सहारनपुर
10	462/2020	379/भादवि 411	सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 17.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा कम्पनी में नौकरी लगवाने के नाम पर महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कर ठगी करने वाला 01 शातिर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ठगी के 2,50,000/ रू0 नकद बरामद कर 2,10,000 रू0 अभियुक्त के खाते में कराये गये फ्रीज ।

अवगत कराना है कि दिनांक 06.08.2024 को वादिया शाईस्ता परवीन पुत्री मौ0 अकबर निवासी खाताखेडी हयात कालोनी स0पुर मो0न0 8859108801 ने थाना आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त कम्पनी एसियन इन्टर प्राईजेज लाईसेन्स न0 UPSA 17,16 2013 के मालिक व उसके कर्मचारी व मकान मालिक द्वारा षडयन्त्र करके फर्जी व कुटरचित दस्तावेज तैयार कर कम्पनी बनाना तथा धोखाधडी करके करीब 10 हजार महिलाओ को नौकरी दिलाने के नाम पर 2400 रु0 प्रति महिला कम्पनी मे सदस्यता को तौर पर ले लेना । ना ही तो महिलाओ को नौकरी देना और ना ही पैसे वापस करना । पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी देना तथा पैसे लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 434/2024 धारा **318(4)/338/336(3)/340(2)/61/316(2)/351(2)/351(3) बीएनएस** पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतू दिशा निर्देश दिये जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यावाही करते हुए अभियुक्त **आदर्श कुमार पुत्र विजय कुमार नि0 ग्राम छोटी चक जमालपुर थाना गोगरी जिला खगडिया बिहार** को **दिनांक 13.08.2024 समय 21.05 बजे अभियुक्त के मशकन** ग्राम छोटी चक जमालपुर थाना गोगरी जिला खगडिया बिहार को सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा ठगी के 2,50,000/ रू0 के साथ गिरफ्तार किया गया । **कुल 2,10,000/ रू0 अभियुक्त के खाते में फ्रीज करवाये गये हैं।** अभियुक्त के विरुध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही कर समय से मान0 न्यायालय में पेश किया जा रहा है.।

पूछताछ करने पर अभियुक्त आदर्श कुमार उपरोक्त ने जुर्म इकबाल करते हुए पूछने पर बताया कि मैं ग्राम छोटी चक थाना गोगली जिला खगड़िया बिहार का रहने वाला हूँ। मैने ग्रेजुएशन पास किया है तथ मैं बेरोजगार हूँ। मेरे गांव का दीपक उर्फ सोनू उर्फ कन्हैया पुत्र विजय उर्फ पप्पू जोकी पहले मेरे साथ पढता था बाद में अलग स्कूल में पढने लगा था तथा गांव से बाहर ही रहता था। मेरी दो बहने है, जिनकी शादी में काफी पैसा खर्च हो गया था और हम लोगो को अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी थी जिस कारण मुझ पर आर्थिक व मानसिक दबाब रहने लगा। एक दिन मैं महेश खूट कस्बे में जाकर दीपक से मिला था और दीपक नें बताया था कि एक फ्राड का काम करना है। तुझ पर भी काफी कर्जा है वो भी ऊतर जायेगा जिस पर मैने हामी भर दी थी व दीपक की बनाई योजना में शामिल हो गया फिर मैं दीपक से दिल्ली में मिला व हम दोनो नें सहारनपुर में एक एशियन एन्टरप्राइजेज कम्पनी का एग्रीमेन्ट दीपक नें अपने किसी आदमी को लाकर कराया था व मुझे बताया कि तुझको इस कम्पनी में ऊन की सप्लाई करनी है, बाकी काम मैं करूंगा और किसी आदमी को आपको फोन नही करना है। मुझे केवल इन्टाग्राम पर कॉल करना है जिससे कॉल पकड़ में ना आ सके। इसी प्लान के अनुरूप में 8 जुलाई 2024 को दीपक के कमरे पैरामाउंट में आ गया था जहाँ पर हम दोनो साथ रहते थे। दीपक हर काम को गोपनीय तरीके से हर जगह अपनी आईडी

आधार कार्ड बगैहरा फर्जी नाम से बनाकर तैयार करता था। दीपक इस काम को मेरी मदद से अपने फोन पर पैड एप्लीकेशन डाउनलॉड करके आधार कार्ड को कट पेस्ट कर किसी के भी नाम की तैयार कर लेता था और बाहर साईबर कैफे जाकर इसका प्रिंट निकलवा लेता था। जिस कम्पनी का एग्रीमेन्ट विनोद के नाम से दीपक ने कराया था विनोद को दीपक ही हायर करके लाया था तथा दिनांक 9.7.24 को मैं और दीपक दोनो साथ रूड़की गये थे जहाँ पर दीपक द्वारा अर्शी टूर एण्ड ट्रैवेल्स रूड़की हरिद्वार जोकि शराब के ठेके के सामने एक जनसेवा केन्द्र है वहाँ पर दीपक नें कही कॉल करके 25 हजार रूपये जनसेवा केन्द्र वाले के खाते में डलवाये थे और उससे नगद प्राप्त करके हम वापस आये थे। उसके बाद मैं करीब 19 तारीख तक दीपक के कमरे पर रहा था इसके बाद मैं और दीपक साथ साथ व कभी अलग अलग दिल्ली आते जाते रहते थे। दीपक मेरे जीजा रितिक मोहर पोदार पुत्र संजय मोहन पोदार तथा मेरी बहन सभ्यता नि0 बदरपुर दिल्ली जोकि दीपक को पहले से ही जानते है व दीपक मेरे गांव का भी था बहन व जीजा के कहने पर मैं इस गलत काम में दीपक उर्फ सोनू के साथ लग गया था मुझे पैसे का लालच आ गया था दीपक नें मुझे लाखो रूपये देने का आश्वासन दिया था जिसमें दीपक नें मुझे करीब 1 लाख रूपये नगद दिया था। कम्पनी में महिलाओ से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2000 से 2400 रूपये लिया जाता था। दीपक अधिकतर रूपये कैश लेता था व कैश ही खर्च करता था ताकि कोई एवीडेन्स ना मिल सके। दीपक के विरूद्ध दिल्ली महाराष्ट्र व यूपी में भी अन्य जगह पर धोखाधड़ी के मुकदमें पंजीकृत हैं, लेकिन मुझे सही से इसकी पूर्ण जानकारी नही है। दिनांक मुझे सही से याद नही है, हमारे पास पैरामाउंट वाले कमरे में महिलाओ से फ्राड कर ठगे हुये 25, 30 लाख रूपये कैश रखे हुये थे जिनमे से मैने चोरी से लालच मे आकर दीपक से छिपाकर करीब 2.5 लाख रूपये निकालकर दिल्ली रोड पर पैरामाउंड से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर घास फूस व झाड़ियो में पन्नी में लपेटकर छिपा दिये थे ताकि बाद में मौके लगने पर निकाल लूंगा व बताया कि करीब 1500, 1600 महिलाओ के साथ फ्राड करके जो पैसा करीब 40 से 45 लाख कमाया था उनमें से करीब 100, 150 महिलाओ को हमने 3 से 4 हजार रूपया वतौर कमीशन वापस भी कर दिया था तथा शेष बचे पैसौ को मैने तथा दीपक नें मिलकर कोलकाता व पटना बिहार के पास सुनसान जगह पर छिपाया हुआ है। जिनको केवल मैं या दीपक ही चलकर बरामद करा सकते हैं क्योकि अब जब सब मामला खुल ही गया है। तो आपसे क्या छिपाना इस पूरे मामले की जानकारी मेरी मम्मी किरण को भी थी लेकिन पैसे की आवश्यता ऐसी होती है जिस कारण मै दीपक के साथ फर्जी कागजात तैयार कराकर उन लोगो को ठगने के काम में लग गया जाते समय 2 अगस्त या 4 अगस्त के आस पास हम यहाँ से दिल्ली चले गये थे लोगो को शक होने पर लोगो नें कम्पनी पर हंगामा कर दिया था जिस कारण कम्पनी बन्द हो गयी थी दिनांक 7, 8 को मैं व दीपक दिल्ली होटल में रूके थे होटल का नाम याद नही है। हमने फरीदाबाद में एक पब में जाकर अपने जीजा रितिक के दोस्त पंकज को भी बुलाया था व पब में हम लोगो नें शैम्पेन पी थी इसके बाद हम लोग वहाँ से पटना के लिये निकल गये थे पटना से दीपक कलकत्ता चला गया था और मैं अपने घर चला गया था।

अभियुक्त का नाम पताः-

आदर्श कुमार पुत्र विजय कुमार नि0 ग्राम छोटी चक जमालपुर थाना गोगरी जिला खगडिया बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीम के नामः-

1. निरीक्षक श्री दिनेश कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0 नि0 श्री देवेन्द्र अधाना थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0 का0 714 नितिन थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. का0 215 सुमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. कम्पयूटर ओपरेटर गोरव तोमर थाना साईबर सैल थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 17-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस नकबजनी के 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया परचून का सामान व 2 किलो 960 ग्राम वजन के सिक्के मिक्स (1 रुपये व 2 रुपये) बरामद

अवगत कराना है कि वादी श्री सुनील जोशन पुत्र स्व. श्री राम सिंह नि. 1/5386 नेहरू नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर मोबाइल द्वारा दिनांक 16.08.2024 को अज्ञात चोरो द्वारा अज्ञात चोरों द्वारा वादी की दुकान दीक्षा प्रोविजन एंड जनरल स्टोर पता अंकित विहार गली नंबर 2 नवादा रोड थाना सदर बाजार का शटर तोडकर दुकान के अन्दर से परचून का सामान, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व देशी घी डब्बे, तेल की बोतल, आटे के कट्टे , गल्ले के पैसे व रेजगारी (सिक्के) आदि सामान चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतू दिशा निर्देश दिये जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा त्वरित कार्यावाही करते हुए दिनांक 16.08.2024 को अभियुक्तगणः **1. मनीष पुत्र राजेश निवासी कोरी माजरा पीर वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर** व **2. अजय पुत्र विनोद निवासी आईसी रोड वेद विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर** को नवादा रोड पर ईट भट्टे के पास बने कमरे से करीब रात्री 12.15 बजे द्वारा गिरफ्तार किया गया व अभि0गण के कब्जे से दो कट्टे आटा 5-5 किलो के व 1 कट्टा आटा 10 किलो ,2 देशी घी के डिब्बे 1-1 किलो के डेरी मेहक के ,2 बोतल 500 एमएल इमामी सरसो के तेल की , 1 इलेक्ट्रीक कांटा इण्डिया स्केल कम्पनी का ,हल्दी पाउडर के पाउच 15 प्रत्येक 25 ग्राम के ,5 पाउच 100 ग्राम के धनिया पाउडर मन्तरा कम्पनी का ,5 टिक्की लाइवबाय साबुन प्रत्येक 125 ग्राम के ,आलमण्ड हेयर आयल की 1 शीसी 95 एमएल की व 1 सीसी 45 एमएल की , 3 पेकेट क्रेकजेक बिस्कीट के 5-5 रुपये वाले , 3 पेकेट पार्ले जी बिस्कीट के 5-5 रुपये वाले, 1 क्रिम ट्यूब पोन्ड्स कम्पनी का 50 ग्राम, 1 पैकेट मेक्रोनी 80 ग्राम का ,5 पीस चाकलेट 5-5 वाली ,1 बोतल माजा 250 एमएल की ,व 2 किलो 960 ग्राम सिक्के मिक्स 1 रुपये व 2 रुपये के बरामद हुए. बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की वृद्धी की गयी । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त गण से सख्ती से पूछताछ की गई तो अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनो ने कल रात दीक्षा प्रोविजन एंड जनरल स्टोर पता अंकित विहार गली नंबर 2 नवादा रोड थाना सदर बाजार का शटर तोडकर दुकान के अन्दर से से चोरी की थी। हम नशे के आदि हैं नशे व रूपयो की जरूरते पूरी करने के लिए चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मनीष पुत्र राजेल निवासी कोरी माजरा पीर वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. अजय पुत्र विनोद निवासी आईसी रोड वेद विहार थाना सदर बाजार सहारनपुर

अभियुक्त मनीष पुत्र राजेश का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 274/2023 धारा 379/411 भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. मु0अ0स0 627/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. मु0अ0स0 628/2019 धारा 379/411 भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. मु0अ0स0 269/2019धारा धारा 379/411 भादवि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 801/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार सहारनपुर।

अभियुक्त अजय पुत्र विनोद का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 312/2021 धारा 136 भारतीय विघुत अधिनियम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
2. मु0अ0स0 410/2021 धारा 399/402 भादवि0 थाना थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
3. . मु0अ0स0 411/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि0 थाना थाना कोतवाली देहात सहारनपुर
4. मु0अ0स0 414/2021 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

दो कट्टे आटा 5-5 किलो के व 1 कट्टा आटा 10 किलो ,2 देशी घी के डिब्बे 1-1 किलो के डेरी मेहक के ,2 बोतल 500 एमएल इमामी सरसो के तेल की , 1 इलेक्ट्रीक कांटा इण्डिया स्केल कम्पनी का ,हल्दी पाउडर के पाउच 15 प्रत्येक 25 ग्राम के ,5 पाउच 100 ग्राम के धनिया पाउडर मन्तरा कम्पनी का ,5 टिक्की लाइवबाय साबुन प्रत्येक 125 ग्राम के ,आलमण्ड हेयर आयल की 1 शीसी 95 एमएल की व 1 सीसी 45 एमएल की , 3 पेकेट क्रेकजेक बिस्कीट के 5-5 रुपये वाले , 3 पेकेट पार्ले जी बिस्कीट के 5-5 रुपये वाले, 1 क्रिम ट्यूब पोन्ड्स कम्पनी का 50 ग्राम, 1 पैकेट मेक्रोनी 80 ग्राम का ,5 पीस चाकलेट 5-5 वाली ,1 बोतल माजा 250 एमएल की ,व 2 किलो 960 ग्राम सिक्के मिक्स 1 रुपये व 2 रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
2.है0का0 1154 इवराज सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 2240 अनिल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
4. का0 2421 ब्रजेश थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 17.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियत्रण एवं शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.08.2024 को थाना पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त अमित कुमार पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम भगवतपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को शान्ति व्यवस्था भंग किये जाने के आरोप में अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया गया। जिसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अमित कुमार पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम भगवतपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नामः-

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 2469 दीपक कुमार थाना बिहारगीढ जनपद सहारनपुर

दिनांक-17.08.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.08.2024 को थाना पुलिस टीम द्वारा एक वाछिँत अभियुक्त **अजय कुमार पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम भिक्खनपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर,** सम्बन्धित मु0अ0स0 10/2024 धारा 147/148/149/307/352/341/323/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट के वाछिँत अभियुक्त को अम्बाला रोड टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त अजय कुमार से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरे व परीक्षत नि0 तेलीपुरा के गुटो के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद है जिस कारण दोनो गुटो ने दिनांक 15.01.24 को एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायर किये थे। जिस घटना मे में भी सामिल था।

गिरफ्तार अभियक्त का नाम व पता -

अजय कुमार पुत्र रोशनलाल निवासी ग्राम भिक्खनपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त अजय कुमार का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 97/2022 धारा 427/505(2) भादवि थाना सरसावा सहारनपुरर
2. मु0अ0स0 99/2019 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
3.मु0अ0स0 195/2018 धारा 323/504/506 भादवि 3(1)(घ),3(1)(द),3(2) एससी एसटी एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0स0 272/2017 धारा 147/148/149/307/397/504/506 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0स0 10/2024 धारा 147/148/149/307/352/341/323/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री यशपाल सिंह सोम जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 97 अनुराग थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
4.का01259 विनीत कुमार थाना सरसावा सहारनपुर

दिनांकः 17/08/2024

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाईकिल बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों की गिरफ्तार हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में,. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह जनपद सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिंह गंगोह जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस द्वारा दौराने पुलिस चैकिंग लखनौती तिराहे से सकरपुर की तरफ 50 कदम की दूरी पर अभियुक्तगण **(1) मोहित उर्फ मोनू पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम घीड़ बाल्मिकी मौहल्ला थाना कुंजपुरा जनपद करनाल (हरियाणा) उम्र करीब 23 वर्ष (2) सागर पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम चौरा शिव मंदिर के पास थाना कुंजपुरा जनपद करनाल (हरियाणा) उम्र करीब 21 वर्ष (3) अंकित पुत्र महेन्द्र जाटव निवासी ग्राम निवासी ग्राम घीड़ मामचन्द सरपंच के निकट बाल्मिकी मौहल्ला थाना कुंजपुरा जनपद करनाल (हरियाणा) उम्र करीब 19 वर्ष** को आज दिनांक 17/08/24 को समय करीब 11.55 बजे चोरी की मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार किये गये। पकड़े गये तीनो अभियुक्तगणो की निशानदेही से चोरी की 03 मोटर साईकिल ग्राम शकरपुर से ग्राम दौलतपुर के बीच में पड़ने वाले अमरूद के बाग के पास बिटोड़ो से बरामद किया। अभियुक्तगणो के विरुद्ध बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-356/24 धारा 317(2)/317(5) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस जिसका रजि0 नं0- UP 11 BU 3588 की चोरी के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 354/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पूर्व से ही पंजीकृत है। जिसके सम्बन्ध मे उक्त अभियोग में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ करने पर पकड़े गये तीनो अभियुक्तगणो मोहित उर्फ मोनू, सागर, अंकित उपरोक्त ने बताया कि हम सभी लोग मोटर साईकिले चोरी करके मोटर साईकिलो को कस्बा गंगोह तथा हरियाणा राज्य में आने जाने वाले व्यक्तियो को सस्ते दामो मे बेच देते हैं, जिससे हम लोग अपने शौक पूरे करते हैं। हम तीनो ने मिलकर विभिन्न स्थानो से मोटर साईकिल चोरी की थी जिन्हे हम सस्ते दामो में बेचकर अपना खर्चा चलाते है।

बरामदगी का विवरणः-

(1) मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस रंग काला रजि 0नं 0HR 05 BE 9414

(2) मोटर साईकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर प्लस रंग काला रजि 0नं 0HR 05 BK 1869

(3) मोटर साईकिल सी रंग सिल्वर जिसका चैसिस नम्बर 100 0टी0MD2B37AY2HRG54791 इ -0नं0 PFYRHG39111
(4) मोटर साईकिल स्पलैण्डर प्लस जिसका रजि -0नं 0UP 11 BU 3588

गिरफ्तार अभियुक्तगणो का नाम व पताः-
(1) मोहित उर्फ मोनू पुत्र सुच्चा सिंह निवासी ग्राम घीड़ बाल्मिकी मौहल्ला थाना कुंजपुरा जनपद करनाल (हरियाणा)
(2) सागर पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम चौरा शिव मंदिर के पास थाना कुंजपुरा जनपद करनाल (हरियाणा)
(3) अंकित पुत्र महेन्द्र जाटव निवासी ग्राम निवासी ग्राम घीड़ मामचन्द सरपंच के निकट बाल्मिकी मौहल्ला थाना कुंजपुरा जनपद करनाल (हरियाणा)

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित उर्फ मोनूः-
(1) मु0अ0सं0-249/23 धारा 380/457/511 भा.द.वि चालानी थाना कुन्जपुरा जनपद करनाल (हरियाणा)
(2) मु0अ0सं0-356/24 धारा 317(2)/317(5) बी0एन0एस0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सागरः-
(1) मु0अ0सं0-406/22 धारा 379/411 भा.द.वि थाना कुन्जपुरा जनपद करनाल (हरियाणा)
(2) मु0अ0सं0-314/22 धारा 379बी/34 भा.द.वि थाना बाबैन जिला कुरूक्षेत्र (हरियाणा)
(3) मु0अ0सं0-707/22 धारा 379 भा.द.वि इन्द्री जिला करनाल (हरियाणा)
(4) मु0अ0सं0- 602/22 धारा 379 भा.द.वि थाना इन्द्री जिला करनाल (हरियाणा)
(5) मु0अ0सं0- 356/24 धारा 317(2)/317(5) बी0एन0एस0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकितः-
मु0अ0सं0- 356/24 धारा 317(2)/317(5) बी0एन0एस0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-
1. उजितेन्द्र सिंह 0नि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3.है0का0 406 अमित धामा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 17.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा फायरिंग करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मसकट 12 बोर व 9 जिन्दा कारतूस 12 बोर के बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 15.08.24 को वादी उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा चौकी प्रभारी थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीरी सूचना बावत कुछ व्यक्तियो द्वारा अम्बाला हाईवे के पास कुम्हारहेडा कट बाईपास रोड पर फायरिंग करते हुए सरसावा की तरफ भाग जाना जिससे जान माल की हानि हो सकने के सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु0अ0सं0 273/24 धारा 109 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही से अभियुक्त अर्पित पुत्र संजय निवासी ग्राम रंधेड़ी थाना गंगोह जिला सहारनपुर व अन्य पाँच अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी व घटना में प्रयुक्त अस्लाहो की बरामदगी हेतु निर्देश दिए गये जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण मे तथा क्षेत्राधिकारी नकुड़ व प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचान पर आज दिनांक 17.08.24 को एक अभियुक्त **अर्पित पुत्र संजय निवासी ग्राम रंधेड़ी थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को इसके घर से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे व निशादेही से घटना में प्रयुक्त एक मसकट 12 बोर व 09 जिन्दा कारतूस 12 बोर की बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त अर्पित के विरूद्ध धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अभियुक्तगणो की तलाश की जा रही है।

पूछताछ का बयानः- अभियुक्त अर्पित ने बताया कि मै कक्षा 11 वी तक पढ़ा लिखा हूँ। मेरे साथियो के पास यह मसकट और कारतूस थी जिसे लेकर मेरे सभी दोस्त मेरे घर पर आये थे तो मैं अपने दोस्तो के साथ अपनी अपनी मोटराईकिल से अम्बाला हाईवे पर गया था। मेरे दोस्तो का कुछ दिन पहले दूसरे पक्ष के गुरजीत पुत्र जगपाल नि0 ग्राम बुल्लावाला थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर के साथ पैसो को लेकर विवाद हो गया था, इसलिए मेरे दोस्तो ने गुरजीत को फोन करके अम्बाला हाईवे पर बुलाया था तो गुरजीत अपने कुछ साथियो के साथ आया। जिसके बाद गुरजीत ने हम लोगो के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था जिसके बाद मैने व मेरे साथियो ने भी उन लोगो के ऊपर फायर कर दिया। जिसके बाद हम सभी दोस्त अपनी अपनी मोटर साईकिलो से सरसावा की तरफ भाग गये थे। मसकट (पोनिया) 12 बोर व 09 कारतूस 12 बोर को मैने अपने पास रख लिया था जो पुलिस द्वारा मेरे घर से बरामद कर लिये। साहब गलती हो गई , माँफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अर्पित पुत्र संजय निवासी ग्राम रंधेड़ी थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 मसकट (पोनिया) 12 बोर व 09 जिन्दा कारतूस 12 बोर

-प्रेस नोट-

दिनांक:17-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना,सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवंक्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 17.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चैकिग के दौरान 01 शराब तस्कर **अभियुक्त सुशील पुत्र तुंगल निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना सहारनपुर** को विक्रम पुत्र सेठपाल का खेत जंगल ग्राम गोविन्दपुर की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से 12 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0स0 197/2024 धारा 63 आबकारी अधिनियम बनाम सुशील कुमार के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पैसे कमाने के लिये हरियाणा से शराब लाकर बेचता हूँ और मेरे पास कोई काम भी नही है। जिसे मैं अधिक पैसों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता:-

सुशील पुत्र तुंगल निवासी ग्राम चौरीमण्डी थाना चिलकाना सहारनपुर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सुशील उपरोक्तः-

मु0अ0सं0—029/2020 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—368/2020 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—609/2020 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—024/2024 धारा—60 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।
मु0अ0सं0—197/2024 धारा—63 आबकारी अधिनियम थाना चिलकाना सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

12 बोतल देशी शराब नाजायाज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना सहारनपुर।

दिनांक: 17-08-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वाँछित/वारण्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी महोदय देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा वारण्टी अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनाँक 17.08.2024 को थाना नांगल पर वारण्टी अभियुक्त **रामबीर पुत्र यशपाल निवासी ग्राम लाखनौर थाना नांगल जिला सहारनपुर** सम्बन्धित वाद संख्या 1209/ 138 धारा 21 एनआईएक्ट न्यायालय अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर तारीख पेशी 17.08. 2024को अभियुक्त के मस्कन से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा था।

अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बताया गया कि साहब मेरे ऊपर पूर्व से मुकदमा चल रहा है। मै किसी कारण वस अपनी गवाही पर नही पहूँच पाया। जिस कारण मा0 न्यायालय द्वारा वारण्ट जारी कर दिया गया है। जिस कारण पुलिस द्वारा मुझे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

रामबीर पुत्र यशपाल निवासी ग्राम लाखनौर थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर बौद्ध थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. का0 1926 अमित कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक - 17.08.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा वाहन चोरी की घटना अत्यंत अल्प समय में सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाईकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 17.08.2024 को वादी श्री सुधीर पुत्र मुलकराज नि0 हैदलपुर कल्याणपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर के द्वारा वादी की मोटर साईकिल हीरो स्पैलेण्डर प्लस रंग नीला रजि0 नं0 UP 11 CH 3770 को चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0 211/24 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना जनकपुरी के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 17.08.2024 को मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये दो अभि0गणो मे से एक अभियुक्त **सैफुल्ला पुत्र जहीर अहमद निवासी मुर्ति वाली गली जनकनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया तथा अभि0 का एक साथी उमर पुत्र छोटा निवासी मन्दिर के पास मन्दिर वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा । अभि0 सैफुल्ला उपरोक्त के कब्जे से वादी की चोरी गई मो0सा0 बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 सैफुल्ला द्वारा बताया गया कि यह मोटर साईकिल दिनांक 16.08.2024 को समय सुबह 09.00 बजे के आसपास मैने व मेरे साथी उमर पुत्र छोटा निवासी मन्दिर के पास मन्दिर वाली गली खानआलमपुरा थाना जनकपुरी सहारनपुर ने जनकपुरी कालोनी से चोरी की थी। आज हम दोनो इसे बेचने जा रहे थे कि पुलिस ने मुझे पकड लिया तथा मेरा साथी उमर पुलिस को दूर से देखकर मोटर साईकिल से कूद कर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
सेफ्फुल्ला पुत्र जहीर अहमद निवासी मुर्ति वाली गली जनकनगर थाना जनकपुरी सहारनपुर

बरामदगी:- मोटर साईकिल हीरो स्पैलेण्डर प्लस रंग नीला रजि0 नं0 UP 11 CH 3770

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-
- उ0नि0 श्री विजय सिंह, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- का0 2364 अनिल कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।
- पीआरडी जयकुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर।